

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)()डीएलबी/2020/21338

दिनांक: 13-12-2022

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)()डीएलबी/20/104-113 दिनांक: 11.01.2021 द्वारा श्री फिरोज खान, अधिवक्ता (रजि. नं. आर/1913/2013) को राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद बालोतरा जिला बाड़मेर के विरुद्ध न्यायिक प्रकरणों में अधिनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार नियुक्त किया गया था।

श्री फिरोज खान, पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार को प्रशासनिक कारणों से नगर परिषद बालोतरा जिला बाड़मेर से तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।




(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 13-12-2022

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)()डीएलबी/2020/21339-21347

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर।
5. सभापति/आयुक्त, नगर परिषद बालोतरा जिला बाड़मेर।
6. श्री फिरोज खान, अधिवक्ता मार्फत नगर परिषद बालोतरा जिला बाड़मेर।
7. प्रोग्रामर, IT सेल निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।



(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी